न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रामदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 325/2024

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
सुशीला पत्नी अरूण जाखड़ जाति जाट निवासी छीतर का पार हाल नेहरू नगर बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।		1 गणेश चौधरी पुत्र नाथूराम चौधरी जाति जाट निवासी मकान संख्या 440 सेक्टर 39 मेडासन्ता मेडिसिटी के पास गुडगांव (हरियाणा) हाल कैयर्न एनर्जी इन्टरप्राईजेज सेन्टर के पास उतरलाई चन्दन नगर बाडमेर 2 मनोज चौधरी पत्नी महेन्द्रसिंह चौधरी जाति जाट निवासी डउकियों की ढाणी, खड़ीन तहसील रामसर जिला बाडमेर प्लाट नम्बर 806—807 राम कृष्ण अपार्टमेन्ट शिप्रा पथ मान सरोवर जयपुर 3 शान्तिदेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति जैन निवासी बिशाला मार्ग सदारपुरा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 4 धाईदेवी पत्नी मेवाराज जैन जाति जैन निवासी बिशाला मार्ग सरदारपुरा बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 5 करनाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट निवासी धारासर तहसील चौहटन 6 गीतादेवी पत्नी किशनाराम जाति जाट निवासी सांजटा तहसील व जिला बाडमेर 7 चन्द्रादेवी पत्नी मुकेश कुमार जाति जाट निवासी पुराना जाटावास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर 8 नरपतसिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण 9 नारायणसिंह पुत्र जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण 10 बबराबाई उर्फ दरिया कंवर पत्नी पाबुदानसिंह जाति राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण 11 बालकंवर पत्नी जेठमालसिंह जाति राजपूत निवासी निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण 12 मेवसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण 13 मोहनसिंह पुत्र पाबुदानसिंह जाति राजपूत निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर तहसील बाडमेर ग्रामीण 15 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 व 167 RLR Act.

उपस्थिति :—

1. श्री सोहनलाल चौधरी, वकील प्रार्थी।
2. श्री नृसिंह सोलंकी, वकील अप्रार्थी संख्या 07, व 11 से 13।

आदेश

दिनांक 27/08/24

संक्षिप्त में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी ने राजस्व ग्राम लालाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 396 के कुल रकबा 35.08 बीघा भूमि में से भगवानसिंह पुत्र जेठमालसिंह के हिस्से में रकबा 07.16 बीघा में से रकबा 02.00 बीघा करनाराम व रूपाराम से प्रार्थीनी ने दिनांक 29.12.2004 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा इसी बेचान के अनुसार नामान्तकरण संख्या 314 दिनांक 25.01.2005 के पक्ष में स्वीकृत कर प्रार्थीनी ने कब्जा प्राप्त किया। मूल खातेदार भगवानसिंह ने अपने हिस्से में से रूपाराम पुत्र मेहराराम व करनाराम पुत्र अचलाराम ने क्रयसुदा भूमि में से प्रार्थीनी 01.00 बीघा भूमि रूपाराम से व 01.00 बीघा भूमि करनाराम से क्रय की थी। मौजा लालाणियों की ढाणी के खेत खसर खसरा संख्या 396 में से भगवानसिंह के हिस्से में से करनाराम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

रूपाराम ने भूमि का बेचान किया तथा इन्ही बेचानों के आधार पर रूपाराम व अप्रार्थी संख्या 05 करनाराम ने आगे भूमि का बेचान प्रार्थीनी को किया है। खसरा संख्या 396 में रूपाराम ने धाईदेवी को भूमि का बेचान अपने कब्जे से अधिक का कर दिया और धाईदेवी पत्नी मेवाराम जैन ने जो पूर्व विधायक बाडमेर की पत्नी है उसने अपने प्रभाव से राजस्व रेकर्ड में परिवर्तन करवा कर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को भूमि का बेचान कर दिया जो अपने क्रयसुदा भूमि से अधिक भूमि का बेचान किया जबकि वास्तव में धाईदेवी व शान्तीदेवी के पास प्रार्थीनी के कब्जासुदा भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नही था। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा खसरा संख्या 396 में से अपने हिस्से से अधिक बेचान अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को किया उक्त वक्त धाईदेवी के कब्जे में 01.00 बीघा भूमि थी ही नही परन्तु जब ऑनलाईन राजस्व अधिकारियों से मिली भगत से प्रार्थीनी की भूमि रकबा 01.00 बीघा भूमि कम करते हुए अप्रार्थी संख्या 04 के खाते में अधिक दर्ज हो जाने के कारण तुरन्त 06 माह पश्चात इसी भूमि का अप्रार्थी संख्या 02 को बेचान कर दिया जबकि नामान्तकरण संख्या 1490 को पारित किया तब अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा नही था इसी कारण नामान्तकरण संख्या 1490 निरस्त किया जाकर पुनः प्रार्थीनी के पक्ष में पूर्व की भांति 02.00 बीघा भूमि यथावत रखी जावे। प्रार्थीनी द्वारा जब क्रय की उस समय खसरा संख्या 396 संयुक्त खातेदारी कब्जे की भूमि थी और उक्त खसरा आज भी संयुक्त कब्जा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थीनी ने अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के द्वारा किया गया बेचान किया गया है वह प्रार्थीनी के हिस्से को प्रभावित करने से बेचान पत्र दिनांक 16.01.2024 को अवैध मानते हुए प्रार्थीनी के कब्जा व राजस्व रेकर्ड तथा नक्शा में दुरूस्ती करवाने का आदेश फरमावे तथा बिना कोई कारण हुई प्रविष्टी को पुनः दुरूत नही किया जावे तब तक प्रार्थीनी के पक्ष में ताफैसला आवेदन निस्तारित नही हो तब तक स्थगन आदेश जारी किया जावें। लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 396 में जो पूर्व में प्रार्थीनी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में 02.00 बीघा भ्भूमि तरमीम हुई थी उसी को दुरूस्त करते हुए प्रार्थीनी के पक्ष में राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेस में ऑनलाईन गलत हुई फिडिंग को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 07 व 11 से 13 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 07 व 11 से 13 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 396 रकबा 55.0[illegible] भूमि में अप्रार्थी संख्या 10 व 12, 13 का 1/3 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या [illegible] खातेदार भगवानसिंह के तीसरा हिस्सा की भूमि में से 02.10 बीघा भूमि जरिये [illegible]बद्ध बेचान पत्र दिनांक 01.11.2004 को क्रय की गई थी मूल खातेदार भगवानसिंह [illegible] उसके तीसरा हिस्सा की भूमि में से खरीददार रूपाराम सारण व मेहराराम व करनाराम पुत्र अचलाराम द्वारा क्रयसुदा भ्भूमि 07.16 बीघा में से 0.15 बीघा भूमि क्रेता इन्दु चौधरी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 15.01.2005 को क्रय की गई इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 07 व इन्दुदेवी पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

रमेश कुमार संयुक्त रूप से मूल खातेदार भगवानसिंह के तीसरा हिस्सा की भूमि में 03.05 बीघा भूमि पर स्वामित्व बहैसियत चला आ रहा है। ग्राम लालाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 396 के कुल रकबा 35.08 बीघा भूमि अविभाजित खसरा है जिसमे से भगवानसिंह द्वारा अपने तीसरा हिस्सा की भूमि अलग–अलग खातेदार को विक्रय की गई है व शेष 2/3 हिस्सा की भूमि पर मूल खातेदार पाबूदानसिंह का परिवार व जेठमालसिंह का परिवार काबिज है तथा प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 07 को कोई हक व हिस्सा नही है। अप्रार्थी संख्या 07 का मूल खातेदार भगवानसिंह के तीसरा हिस्सा की भूमि में से 02.10 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 01.11.2004 को क्रय की गई थी मूल खातेदार भगवानसिंह के उसके तीसरा हिस्सा की भूमि में से खरीददार रूपाराम सारण व मेहराराम व करनाराम पुत्र अचलाराम द्वारा क्रयसुदा भूमि 07.16 बीघा में से 0.15 बीघा भूमि क्रेता इन्दु चौधरी द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र दिनांक 15.01.2005 को क्रय की गई इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 07 व इन्दुदेवी पत्नी रमेश कुमार संयुक्त रूप से मूल खातेदार भगवानसिंह के तीसरा हिस्सा की भूमि में 03.05 बीघा भूमि पर स्वामित्व बहैसियत चला आ रहा है। लिहाजा वादग्रस्त भूमि अविभाजित है तथा खातेदारन की भूमि की तरमीम नही हुई है तथा भू–नक्शा में किसी प्रकार की कोई तरमीम की हुई नही है। प्रार्थीनी का आवेदन मनगढंत एवं झूठा होने से खारिज फरमावया जावें।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा पत्रांक राजस्व/2024/425 दिनांक 08.04.2024 द्वारा इस आशय की उपलब्ध करवाई कि प्रार्थीनी द्वारा राजस्व ग्राम लालाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 396 में से कुल 02.00 बीघा का क्रय किया गया था जिसका नामान्तकरण संख्या 314 दिनांक 25.02.2005 स्वीकृत होकर रेकर्ड पर अंकित किया गया। प्रार्थीनी द्वारा वर्ष 2005 में भूमि क्रय की गई थी उस समय राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन थी तथा नामान्तकरण ऑफलाईन दर्ज किया गया था उक्त नामान्तकरण में हिस्सा दर्ज नही है ऑफलाईन जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में किसी भी खातेदार का हिस्सा दर्ज नही है। डीएलएमआरपी योजना में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय भूलंवश प्रार्थीनी का हिस्सा कम अंकित हो गया जबकि अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का हिस्सा अधिक दर्ज हो गया था उस हिस्से के आधार पर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 1490 [illegible] होकर राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में [illegible] हिस्सा सही अंकित नही है एवं अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा अपने हिस्से से अधिक बेचान भी कर दिया है अतः नामान्तकरण संख्या 1490 निरस्त होने पर ही हिस्सों का सही–सही अंकन कर प्रार्थीनी का हिस्सा सही दर्ज हो सकेगा। प्रार्थीनी के हिस्से में 02.00 बीघा भूमि सहखातेदारी में दर्ज थी पृथक से तरमीम नही है।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:22:51 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2059 व 2062, 2075 से 2078, 2071 से 2074 नामान्तकरण संख्या 1490 दिनांक 21.01.2024 व 314 दिनांक 14.01.2005, बेचान दिनांक 16.01.2024 एवं तहसीदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि डीएलएमआरपी योजना में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय भूलंवश प्रार्थीनी का हिस्सा कम अंकित हो गया जबकि अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का हिस्सा अधिक दर्ज हो गया था उस हिस्से के आधार पर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 1490 स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार का हिस्सा सही अंकित नही है एवं अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा अपने हिस्से से अधिक बेचान भी कर दिया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी का हिस्सा गलत अंकित किया गया जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के मद्देनजर सभी काश्तकारों के के हिस्सों को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि राजस्व ग्राम लालाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 396 के कुल रकबा 35.08 बीघा भूमि में डीएलएमआरपी योजना में राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय भूलंवश प्रार्थीनी का हिस्सा कम अंकित हो गया जबकि अप्रार्थी संख्या 03 व 04 का हिस्सा अधिक दर्ज हो गया था उस हिस्से के आधार पर अप्रार्थी संख्या 03 व 04 द्वारा अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 1490 स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया। लिहाजा काश्तकारों के वास्तविक हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड शुद्ध किया जाना जाना उचित है।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम लालाणियों की ढाणी, पटवार हल्का बाडमेर मगरा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 396 के कुल रकबा 35.08 बीघा भूमि में प्रार्थीनी का व अन्य काश्तकारों का हिस्सा जमाबन्दी संवत् 2059 व 2062, 2071 से 2074 व 2075 से 2078 की जांच करते हुए सभी का हिस्सा खातेदारी में (शुद्धिकरण) किया जावे। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली बाद तकमील हुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.26 17:22:51 IST
Reason: SelfAttested

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27/08/24 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर